



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राजेश्वर सिंह

Phone No.: 07152-242812

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

Dr. Rajeshwar Singh

Assistant Registrar (Department of Examination)

क्रमांक: 04/परी/स.प. (नवंबर-2026)/42/4588

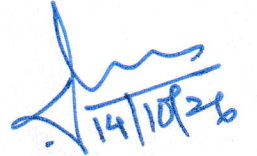
दिनांक: 14.10.2026

अधिसूचना

पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक: 04/परी/वि.स.एवंवि.प./2025/07/3719 दिनांक 21.01.2026 के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया था कि 'प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) के सभी प्रश्न-पत्रों में उत्तीर्ण हुए बिना स्नातक कार्यक्रम के तृतीय वर्ष की पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।'

उक्त के संबंध में परीक्षा समिति की दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को संपन्न बैठक में लिए गये निर्णयानुसार यह अधिसूचना अकादमिक सत्र: 2025-26 से लागू की जाती है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।


(डॉ. राजेश्वर सिंह)

संलग्नक:- यथोपरि।

प्रतिसूचनार्थ (ई-मेल के माध्यम से):-

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता कार्यालय
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय
5. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/अकादमिक निदेशक/क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
6. प्रभारी, अकादमिक विभाग
7. प्रभारी, लीला- विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. संबंधित पत्रावली।